न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :– 28/2022

अनवान

1 भंवरलाल पिता शिवदयाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी बागथला तहसील फूलियाकलां जिला–शाहपुरा

----वादी

बनाम

1 भीमराज पिता गजानन्द ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी बागथला तहसील फूलियाकलां जिला–शाहपुरा

2 किशन पिता गजानन्द ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी बागथला तहसील फूलियाकलां जिला–शाहपुरा

3 मोती पिता खाना गुर्जर उम्र वयस्क निवासी रणजीतपुरा तहसील फूलियाकलां जिला–शाहपुरा

4 राज. राज्य जरिये तहसीलदार फूलियाकलां जिला शाहपुरा

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री विष्णुदत्त शर्मा.................अधिवक्ता वादी
पेरोकार सरकार.....................विपक्षी क्रम 05
श्री लालाराम गुर्जर ....अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01, 02

निर्णय

दिनांक 15.05.2024

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने एक नियमित राजस्व वाद पत्र बाबत कब्जायाबी एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रणजीतपुरा पटवार हल्का क्षेत्र ईटडिया तहसील फुलियाकलां की सरहद में स्थित खसरा संख्या 98/193, 99/194, 107, 108, 109, 157/195 कुल किता 6 रकबा 1.85 हैक्टयर भूमि वादी के खातेदारी अधिकारों में राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित है। उक्त आराजियात भूभाग की सीमाओं पर सीमाचिन्ह स्थापित किए जाने/पत्थरगढी कराये जाने बाबत वादी द्वारा न्यायालय श्रीमान में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण संख्या 44/2019 से पंजीबद्ध हुआ होकर, कालान्तर अवधि में प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2019 के अनुपालन में हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा खसरान की पत्थरगढी/नपती दिनांक 19.04.2022 को की गई। जहां पर तैयार किए गये मौका पर्चा अनुसार आराजी संख्या 157/195 रकबा 0.15 में से 0.05 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 01, 02 का कब्जा होना पाया गया है एवं इसी प्रकार से आराजी संख्या 98/193 में से 0.10 हैक्ट. एवं आराजी संख्या 99/194 रकबा 0.04

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
फुलियाकलां, जिला–शाहपुरा

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टयर किता 2 रकबा 0.14 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 03 का अनाधिकृत कब्जा होना पाया गया है। जबकि प्रतिवादीगण का वर्णित आराजियात भूभाग में कोई विधिक हक निहित नही है। महज कब्जा होने मात्र से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के कोई हक अधिकार उत्पन्न नही हो जाते है। प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजियात में कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नही होने से वर्णित खसरान के भूभाग का कब्जा पुनः वादी को दिलाया जाना अति आवश्यक है।

अतः ग्राम रणजीतपुरा पटवार हल्का क्षेत्र ईटडिया तहसील फुलियाकलां की सरहद में स्थित आराजी संख्या 157/195 रकबा 0.15 में से 0.05 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 01, 02 एवं आराजी संख्या 98/193 में से 0.10 हैक्ट. एवं आराजी संख्या 99/194 रकबा 0.04 हैक्टयर किता 2 रकबा 0.14 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा किए गये अनाधिकृत कब्जे की बैदखली कर, भूभाग का कब्जा पुनः वादी को दिलाये जाने आशय की डिक्री सादर पारित फरमाई जावें। तथा साथ ही कब्जा वापसी के पश्चात वर्णित आराजियात पर वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं करें, न किसी अन्य से करावें इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जाना फरमावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दिनांक 15.06.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। विपक्षी संख्या 03 विधिवत् तामील/सूचना के बावजूद नियत पैशी पर अनुपस्थित रहने से विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 03 एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी संख्या 01, 02 की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री लालाराम गुर्जर द्वारा खण्डन/प्रतिरोध में प्रस्तुत कराये गये जवाब दावें के आधार पर प्रकरण मे तनकियात कायम की गई। बाद तनकियात कायमी वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुतिकरण का अवसर प्रदत्त किया गया। वादी पक्ष द्वारा बतौर गवाह वादी श्री भंवरलाल पिता शिवदयाल ब्राहमण निवासी बागथला के शहादत्त में शपथ-पत्र प्रस्तुत कराया गया जिसे शामिल मिसल कर, प्रकरण को जिरह के चरण पर नियत किया गया। वादी की ओर से उपस्थित पी.डब्ल्यू 01 गवाह से जिरह कार्यवाही में बयानात कलमबद्ध किए गये।

इसके पश्चात प्रकरण को शहादत्त प्रतिवादी चरण पर पंजीबद्ध किया गया। किन्तु शहादत्त में प्रतिवादी पक्ष की ओर से विहित समयावधि में डी.डब्ल्यू प्रस्तुत नही किये जाने से विपक्षी की शहादत्त समाप्त की गई।

पत्रावली में नियत हुए चरण में उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकों ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद/जवाब दावें को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया। न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर, दावें की समस्त कलमों व प्रतिवादी संख्या 01, 02 द्वारा खण्डन में प्रस्तुत कराये गये जवाब दावें को आधार मानकर प्रकरण में कायम तनकीयात का उपलब्ध दस्तावेज/सबूतों के आधार पर निम्नानुसार विनिश्चय किया गया।

प्रकरण मे 03 तनकियात कायम होकर बाद विश्लेषण निम्नानुसार निर्णित की गई।

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां, जिला-शाहपुरा

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण मे 03 तनकियात कायम होकर बाद विश्लेषण निम्नानुसार निर्णित की गई।

तनकि संख्या 01 ! " आया वादी ग्राम रणजीतपुरा पटवार हल्का क्षेत्र ईटडिया तहसील फूलियाकलां स्थित वादी की खातेदारी आराजियात संख्या 98/193, 99/194, 107, 108, 109, 157/195 भूमि पर से प्रतिवादीगण की बैदखली कर कब्जा पुनः वादी को दिलवाये जाने आशय/अनुतोष की डिक्री प्राप्त करने व हर्जा खर्चा प्राप्ति के अधिकारी है ? "

बा–जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 02 ! " आया वादग्रस्त आराजीयात भूमि पर से वादी के हक हिस्से में उपयोग–उपभोग व काश्त करने में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा, रूकावट उत्पन्न नही करें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? "

बा–जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 1 व 2 को सिद्ध करने का दायित्व वादी के जिम्मे रखा गया।

ग्राम रणजीतपुरा पटवार हल्का क्षेत्र ईटडिया तहसील फुलियाकलां के हाल खसरा संख्या 98/193, 99/194, 107, 108, 109, 157/195 वादी के खातेदारी अधिकारों में राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित है। जो प्रदर्श दस्तावेज संख्या 02 चालू जमाबन्दी से साबित हुआ है। राजस्व प्रार्थनापत्र प्रकरण संख्या 44/2019 में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2019 के अनुपालन में हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा खसरान की पत्थरगढी/नपती दिनांक 19.04.2022 को सम्पादित हुई एवं वहां पर तैयार किए गये मौका पर्चा अनुसार आराजी संख्या 157/195 रकबा 0.15 में से 0.05 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 01, 02 का कब्जा होना पाया गया है एवं इसी प्रकार से आराजी संख्या 98/193 में से 0.10 हैक्ट. एवं आराजी संख्या 99/194 रकबा 0.04 हैक्टयर किता 2 रकबा 0.14 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 03 का अनाधिकृत कब्जा होना पाया गया है। प्रदर्श दस्तावेज संख्या 01 मौका पर्चा दिनांकित 19.04.2022 के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हुआ है। यह एक निर्विवाद सत्य है कि महज कब्जा होने मात्र से अचल सम्पति पर किसी के मालिकाना हक उत्पन्न नही हो जाते है। निसन्देह वादग्रस्त आराजियात के भूभाग पर प्रतिवादीगण का अनाधिकृत कब्जा साबित हुआ है, एवं अतिकर्मित भूभाग का स्वामित्व वादी के हिस्से में होना वादी पक्ष ने पूर्णतया सिद्ध किया है। पर्याप्त सबूत/दस्तावेज के प्रस्तुतिकरण से ही इन तथ्यों में पारदर्शिता पाई गई है। इसी के फलस्वरूप वादी की वांछना के मुताबिक कब्जा पुनः वादी को दिलाया जाना न्यायालय न्याय संगत मानता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सलंग्न अभिलेखों व आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन करने के पश्चात तनकी संख्या 01, 02 ब–हक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03 के निर्णित की जाती हैं।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां जिला–शाहपुरा

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार फूलियाकलां बतौर कनिश्नर की मौजूदगी में सम्पादित होगा। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को स्थाई निषेद्याज्ञा से इस प्रकार पाबन्द किया जाता है कि वादी के हक हिस्से की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। तहसीलदार फुलियाकलां तद्नुसार पालना करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 15.05.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजकेश मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला शाहपुरा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

—::मूल वाद में अन्तिम डिक्री::—

(आदेश 20 व नियम 06 एवं 07 जा. दी.)

पीठासीन अधिकारी — राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :— 28/2022

अनवान

1 भंवरलाल पिता शिवदयाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी बागथला तहसील फूलियाकलां जिला—शाहपुरा

---वादी

बनाम

1 भीमराज पिता गजानन्द ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी बागथला तहसील फूलियाकलां जिला—शाहपुरा

2 किशन पिता गजानन्द ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी बागथला तहसील फूलियाकलां

3 मोती पिता खाना गुर्जर उम्र वयस्क निवासी रणजीतपुरा तहसील फूलियाकलां जिला—शाहपुरा

4 राज. राज्य जरिये तहसीलदार फूलियाकलां जिला शाहपुरा

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— श्री विष्णुदत्त शर्मा.................अधिवक्ता वादी
पेरोकार सरकार.....................विपक्षी क्रम 05
श्री लालाराम गुर्जर ....अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01, 02

दिनांक 15.05.2024

वाद—पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 इस प्रकार स्वीकार कर, डिक्री किया जाता है कि वादी के खातेदारी अधिकारों में अभिलिखित वाके ग्राम रणजीतपुरा पटवार हल्का क्षेत्र ईटडिया तहसील फुलियाकलां की सरहद में स्थित खसरा संख्या 98/193, 9/194, 157/195 भूमि की पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें एवं नपती उपरान्त यदि वादी के हक स्वामित्व के इन खसरान पर प्रतिवादीगण का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमित भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण से वादी को सिपुर्द किया जावें। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को स्थाई निषेद्याज्ञा से इस प्रकार पाबन्द किया जाता है कि वादी के हक हिस्से की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां, जिला-शाहपुरा

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री की पालना में तहसीलदार फुलियाकलां को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मौके पर नपती के सम्बंध में पक्षकारान को न्युनतम 3 दिन पूर्व सूचित कर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें। यदि वादी के हक/हिस्से की भूमि का प्रतिवादीगण का कोई अनाधिकृत कब्जा पाया जाता है तो उक्त भू भाग से प्रतिवादीगण को बेदखल कर, कब्जा पुनः वादी को सिपुर्द किया जावें। मौके पर नपती का कार्यान्वयन तहसीलदार फूलियाकलां बतौर कनिश्नर की मौजूदगी में सम्पादित होगा।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां
जिला शाहपुरा

यह डिक्री आज दिनांक 15.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां
जिला शाहपुरा